राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ 918( )पराप्राशि/2017/पार्ट/08 जयपुर, दिनांकः 07/01/2020

आदेश

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277–क के उप नियम (VI) के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 1102 दिनांक 23.10.2017 द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण किया हुआ है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या–1 द्वारा जारी दिशा–निर्देश निम्न प्रकार हैः–

"प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची (MERIT LIST) मे शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET/RTET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (MINIMUM PASSING MARKS) अर्जित करना अनिवार्य होगा परन्तु राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F7(1)EE/PLAN/2011 DATED 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णाक (MINIMUM PASSING MARKS) अनिवार्य होंगे परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के संदर्भ मे उन्हे यह छूट देय नही होगी।"

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में न्यूनतम उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत में छूट देने संबंधी मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 4907/2019 व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.07.2019 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की विभागीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 में एस0एल0पी0 दायर नही करने का निर्णय लिया गया है। फलतः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा रीट (REET) 2015 एवं 2017 का परिणाम भी तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

दृष्टिबाधित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा उक्तानुसार आरटेट न्यूनतम उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। अतः विभागीय आदेश क्रमांक 1102 दिनांक 23.10.2017 के बिन्दु संख्या–1 के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि "प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु दृष्टिबाधित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को आरटेट न्यूनतम उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत में 20 प्रतिशत की छूट देय की जावे।"

विशिष्ट शासन सचिव एवं
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर (स्वतंत्र प्रभारी)।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/आयोजना।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
9. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव एवं
अति0 आयुक्त (प्रथम)

Scanned by CamScanner